प्रेस विज्ञप्ति

29-10-2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने शाइन सिटी समूह के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 74.16 करोड़ रुपये की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में मोहनलालगंज लखनऊ में भगवती प्रसाद के नाम पर 47.80 करोड़ रुपये की कीमत की 24 कृषि भूखंड ; मेसर्स शाइन सिटी कॉलोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में 16.5 करोड़ रुपये की कीमत की 6 आवासीय भूखंड; मेसर्स वर्धमान बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड (प्रमोटर विवेक गुप्ता) द्वारा विकसित हरियाणा के रेवाड़ी में "स्प्रिंगडेल" परियोजना में 9.27 करोड़ रुपये मूल्य का 1 वाणिज्यिक भूखंड और 4 वाणिज्यिक स्थान और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में दुर्गा प्रसाद के नाम पर 0.57 करोड़ रुपये मूल्य की 03 कृषि भूमि शामिल हैं। इन संपत्तियों को निवेशकों से एकत्र किए गए धन का उपयोग करके खरीदा/विकसित किया गया था और शाइन सिटी प्रमोटरों द्वारा स्तरीकृत और विपथित किया गया था।

ईडी ने रशीद नसीम और शाइन सिटी ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज लगभग 554 प्राथमिकियों के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्तियों, सहयोगियों और प्रमोटरों ने कई कंपनियों को शामिल किया और रियल एस्टेट सेक्टर और अन्य आकर्षक योजनाओं में निवेश की आड़ में पोंजी-पिरामिड स्कीम में जनता से धन एकत्र किया। ईडी की जांच ने फंड ट्रेल की पहचान की और पाया कि ग्राहकों से एकत्र किए गए धन को समूह के करीबी सहयोगियों को हस्तांतरित और विपथित किया गया था। भगवती प्रसाद, विवेक गुप्ता और दुर्गा प्रसाद ऐसे करीबी सहयोगी हैं। इस तरह से विपथित किए गए फंड का इस्तेमाल उन्होंने जमीन, वाणिज्यिक स्थान खरीदने और वाणिज्यिक रियल एस्टेट परियोजनाओं को विकसित करने के लिए किया। नतीजतन, गरीब निवेशकों को उनके निवेश या वादा की गई जमीन/प्लॉट पर कभी रिटर्न नहीं मिला।

इससे पहले, ईडी ने लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, मुंबई और दिल्ली में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था और कई डिजिटल डिवाइस, धन शोधन के अपराध से संबंधित दस्तावेज और अपराध से अर्जित संपत्तियों का विवरण बरामद/जब्त किया था।

ईडी ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उनसे हिरासत में पूछताछ की थी, जिनके नाम श्रीमती शशि बाला, अभिषेक सिंह, दुर्गा प्रसाद, उद्धव सिंह, आशिफ नसीम, अमिताभ श्रीवास्तव, श्रीमती मीरा श्रीवास्तव और हिमांशु कुमार हैं। अब तक 05 अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं और कुल 8 व्यक्तियों, 13 कंपनियों और 9 साझेदारी फर्मों को आरोपी बनाया गया है। माननीय विशेष न्यायालय ने अब तक दर्ज सभी पी.सी. का संज्ञान लिया है और मुकदमा शुरू हो गया है। इस मामले में अब तक की गई कुल कुर्की की राशि 263.55 करोड़ रुपये (लगभग) है।

आगे की जांच जारी है।